

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2037 / 2010 / श्रीगंगानगर

मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

श्रीगंगानगर

अपीलीर्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन-प्रथम, श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री विवेक सिंघल

अधिकृत प्रतिनिधि

श्री आर.के.अजमेरा

राजकीय उप अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 11.02.2016

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर(जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 96/अपील्स-11/आरएसटी/जयपुर/वि.वृत्.राज./2010-11 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रथम, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर (जिसे कर निर्धारण अधिकारी कहा जाएगा) के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसके आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78(5) सपठित नियम 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.04.2006 को रु. 1,26,210/- शास्ति आरोपित की है, को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.08.2004 को साधुवाली चैक पोस्ट पर तिपहिया वाहन को चैक किया गया, जिसके द्वारा श्रीगंगानगर के लिए 6 कार्टून मोबाईल सैट परिवहनित किये जा रहे थे। उक्त परिवहनित माल के सम्बन्ध में वक्त चेकिंग दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए रिक्त पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (2) का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत से शास्ति रु. 1,26,210/- आरोपित कर आदेश दिनांक 04.04.2006 पारित किया। उक्त आरोपित शास्ति से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को उचित मानते हुए यथावत रखा है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीधीन आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक, अनुचित एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तो

के विरुद्ध होने के कारण अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20.06.2005 द्वारा प्रकरण कर अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये थे कि सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः जांच कर आदेश पारित करें, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये एवं बिना जांच किये पुनः कर निर्धारण आदेश पारित शास्ति आरोपित की गई है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल से सम्बन्धित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जिनकी जांच कर उन्हें मिथ्या अथवा कूटरचित प्रमाणित नहीं किया गया है, इसलिए आरोपित शास्ति को उचित नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन ओदश पारित किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन एवं अपीलीय अधिकारी के स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 04.04.2006 पारित किया है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग घोषणा पत्र एस टी 18ए रिक्त पाये जाने के कारण करापवंचन के उद्देश्य से माल का परिवहन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 29 पर उपलब्ध घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 3374371 का अवलोकन करने के पश्चात उसके रिक्त होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 04.04.2006 की पुष्टि की है। उक्त कथन के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर विचार किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त चेकिंग अन्य दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए रिक्त प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 78 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,26,210/- आरोपित की है, जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को यथावत रखा है।


कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त चेकिंग घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 3374371 उपलब्ध है, जो पूर्णतः रिक्त है। कर



निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी की ओर से कोई नया घोषणा एस टी 18ए प्रस्तुत नहीं किया है। उक्तानुसार वक्त जांच परिवहनित माल के साथ संलग्न किया गया रिक्त घोषणा प्रपत्र न तो तकनीकी त्रुटि की श्रेणी में आता है और न ही विधिमान्य दस्तावेज माना जा सकता। इस प्रकार उक्त घोषणा प्रपत्र अपूर्ण घोषणा प्रपत्र की श्रेणी में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त 2007 (18) टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार कर सम्बन्धी विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के अपराध हेतु शास्ति आरोपण के लिये व्यवहारी की करापवंचन की मनोदशा आवश्यक अंग (ingredient) नहीं है तथा वक्त जांच अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रिक्त घोषणा प्रपत्र एस टी 18ए प्रस्तुत किये जाने से अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने के कारण व्यवहारी के विरुद्ध धारा 78(2) के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ उपलब्ध अविधिमान्य घोषणा प्रपत्र को मान्यता नहीं दी जा जाकर व्यवहारी के विरुद्ध धारा 78(2) के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिये धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना पूर्णतया विधिक एवं न्यायोचित है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण में कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों की विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो पूर्णतः उचित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति की पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। फलस्वरूप प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य